फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री विष्णुप्रकाश **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का.अधि. **पत्रावली संख्या : 37/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 15.05.2023	

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प धुणीमाता में पेश हुई। अधिवक्ता वादी व राजपेरोकार उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त, शा.फा. रहे। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर रिपोर्ट को ही बहस माना जाकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम प्रकाशचन्द्र पिता कालु भोई गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में राशनकार्ड की प्रति, अंक तालिका की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में वादी का नाम विष्णुप्रकाश पिता कालुलाल माली अंकित है। राजपेरोकार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में वादी का नाम विष्णुप्रकाश पिता कालुलाल माली होना बताकर नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार वादी का नाम विष्णुप्रकाश पिता कालुलाल माली होना जाहिर होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा नाहरमगरा पटवार हल्का नाहरमगरा की आराजी नम्बर 654, 666, 667, 668 किता 4 रकबा 3.0674 हेक्टेयर भूमि में खातेदार प्रकाशचन्द्र पिता कालु भोई के बजाय प्रकाशचन्द्र उर्फ विष्णुप्रकाश पिता कालुलाल माली संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:03:53 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 37/21 (वाद) GCMS No. : 2021/70

उनवान

1. श्री विष्णुप्रकाश पिता कालुलाल माली निवासी कालकामाता रोड, गणेशनगर पहाडा, उदयपुर।

........वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का नाहरमगरा तह. मावली।
3. श्री कन्हैयालाल पिता कालु भोई निवासी 4 बडा भोईवाडा उदयपुर।
4. श्री किशनलाल पिता कालु भोई निवासी 524 रोशन कॉलोनी, सेक्टर 12 हिरणमगरी (सवीना) उदयपुर।

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा नाहरमगरा पटवार हल्का नाहरमगरा की आराजी नम्बर 654, 666, 667, 668 किता 4 रकबा 3.0674 हेक्टेयर भूमि में खातेदार प्रकाशचन्द्र पिता कालु भोई के बजाय प्रकाशचन्द्र उर्फ विष्णुप्रकाश पिता कालुलाल माली संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15.05.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:03:53 IST
Reason: SelfAttested